संख्याः 2422/XXX(2)/2005

प्रेषक,

श्री नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

(3) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 22 अगस्त, 2005

विषयः निःशक्त व्यक्तियों को राज्याधीन सेवाओं में उनके लिए चिन्हित किये गये पदों पर सेवायोजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में भर्ती हेतु निःशक्त व्यक्तियों के लिए 3% का आरक्षण निर्धारित किया गया है। निःशक्त व्यक्तियों के लिए विकलांगता को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है जो कि निम्नवत् है :–

क– दृष्टिहीनता या कम दृष्टि
ख– श्रवण ह्रास
ग– चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात

विभिन्न विभागों द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपरोक्त श्रेणियों में पदों को चिन्हित करते समय अधिकतर पदों को चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात के लिए चिन्हित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा निःशक्तता के संबंध में जारी किये गये (निःशक्त व्यक्ति) अधिनियम में निःशक्तता के लिए चिन्हित किये गये तीनों श्रेणियों में प्रत्येक के लिए 1% परन्तु अधिष्ठान में 3% से अनधिक का आरक्षण किये जाने की व्यवस्था की गई है।

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए पदों को इस प्रकार चिन्हित किया जाय कि तीनों प्रकार की निःशक्तता के व्यक्तियों को अधिष्ठान में 1% का आरक्षण अनुमन्य हो सके। अधिष्ठान में उक्त तीन प्रकार की निःशक्तता में प्रत्येक निःशक्तता के लिए चिन्हित पदों की संख्या पृथक–पृथक आकलित की जायेगी और जहां एक से अधिक प्रकार की निःशक्तता के लिए पद चिन्हित हैं वहां प्रत्येक प्रकार की निःशक्तता के लिए पदों की संख्या पृथक–पृथक निर्धारित की जायेगी। यह

देखने मे आया है कि अधिकतर अधिष्ठानों मे चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात के लिए अधिकांश पद चिन्हित हुए हैं। ऐसे में दृष्टिहीनता या कम दृष्टि अथवा श्रवण ह्रास के साथ चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता के लिए चिन्हित पदों मे दृष्टिहीनता या कम दृष्टि अथवा श्रवण ह्रास के लिए पदों का चिन्हांकन इस प्रकार किया जाय कि अधिष्ठान मे तीनों प्रकार की निःशक्तता के लिए यथा सम्भव पदों की संख्या समान रहे।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रख्यापित निःशक्त व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने के अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों पर चयन के उपरान्त यदि किसी पद पर अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसे पदों को अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा बल्कि उन्हें रिक्त रखा जायेगा और भविष्य में भरने के लिए अग्रेनीत किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या 2422/XXX(2)/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।